

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग,

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 7/10/2014

क्रमांक एफ -5(ए)/1/2013/ई/चार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ-7 (56)/2013/1-7/स्था-3, दिनांक 13 जून, 2013 द्वारा 10 विभागों में वित्तीय सलाहकार प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत विभाग में पदस्थ वित्तीय सलाहकार के परामर्श पर प्रशासकीय विभाग को निम्नांकित अधिकार एतद द्वारा प्रत्यायोजित किये जाते हैं :-

- (i) बजट से समर्पित राशि के आदेश जारी करना।
- (ii) वित्त विभाग के आदेश क्र. 2-2/2013/नियम/चार, दिनांक 19.3.2013 के द्वारा कतिपय मामलों में आदेश वित्त विभाग के माध्यम से पृष्ठांकित किये जाने के अधिकार। यह पृष्ठांकन वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी किये जायेंगे।
- (iii) वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1032/आर 613/2007/ब-1/चार, दिनांक 25.6.2012 अनुसार स्वीकृत अस्थाई पदों की निरंतरता जारी करना।
- (iv) वित्त विभाग के आदेश क्र. 442/516/बजट-1/2010 एवं 565/516/बजट-1/2010 दिनांक 30.4.10 एवं 8.6.10 के द्वारा आयोजना में त्रैमासिक बजट के अंतर्गत किसी त्रैमास में अव्ययित राशि को अगले त्रैमास में व्यय करने की अनुमति दिया जाना।
- (v) मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के प्रावधानों के अनुसार विभाग के अंतर्गत खोले गए व्यक्तिगत जमा खाता के निरंतरता की स्वीकृति।
- (vi) राज्य शासन द्वारा जिन मदों में व्यय की सीमा निर्धारित की गई है, उन मदों में निर्धारित सीमा से 25 प्रतिशत अधिक व्यय तक की अनुमति। उदाहरणस्वरूप टेलीफोन, पेट्रोल आदि।
- (vii) विभाग के अंतर्गत स्वीकृत पदों का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण के अधिकार।
- (viii) दिनांक 1.4.2013 के बाद नीलाम किये गये वाहनों के प्रतिस्थापन स्वरूप वाहन क्रय की अनुमति बशर्ते वाहन चालक उपलब्ध हो।

(IX) दायित्व निर्मित होने पर के-डिपोजिट में जमा राशि से आहरण की अनुमति।

प्रशासकीय विभाग द्वारा उपरोक्त अधिकारों का उपयोग वित्तीय सलाहकार के परामर्श से सुसंगत वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। उपरोक्त विषयों की नस्तियां अनिवार्यतः वित्तीय सलाहकार के माध्यम से संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को प्रस्तुत की जायेंगी। वित्तीय सलाहकार एवं विभाग के मत में मत भिन्नता की स्थिति में प्रकरण वित्त विभाग को भेजे जायेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(अजय नारायण)

अपर मुख्य सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 7/10/2013

क्रमांक एफ -5(ए)/1/2013/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्री जी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश, शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास/स्कूल शिक्षा/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/महिला एवं बाल विकास/वन/गृह/जल संसाधन/लोक निर्माण तथा ऊर्जा विभाग।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त के निज सहायक,
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/उप महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार 53, अरेरा हिल्स भोपाल,
5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(शुखला संगीने)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग